जिला कोरबा

<table>
<tr><th colspan="3">सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की जानकारी</th></tr>
<tr><th>क्र0</th><th>वांछित जानकारी</th><th>पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;
The Particulars of Its Organization, Functions And Duties;</td><td>भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार 'पुलिस' सातवीं अनुसूची के अंर्तगत राज्य सूची का विषय है। पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार पुलिस का कार्य अपराध को निवारित करने तथा उनका पता लगाने (Prevention And Detection Of Crime) का है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय 2 (धारा 3-10) के द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य पुलिस, पुलिस रेंज तथा पुलिस जिलों में विभक्त किया गया है, जिनका अधीक्षण क्रमशः पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक पुलिस जिले को एक या अधिक उपखण्डों अथवा पुलिस थानों में विभक्त कर सकती है जिनके प्रभारी अधिकारी क्रमशः सहायक/उप पुलिस अधीक्षक व उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी होते हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय 6 (धारा 32-37) में पुलिसिंग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयों की स्थापना, सार्वजनिक स्थलों को आरक्षित करने तथा अवरोधक बनाने की शक्ति, सभा, जुलूस एवं परिसरों का विनियमन, यातायात का विनियमन आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 51 द्वारा पुलिस विनियम लागू किया गया है, जिसमें पुलिस के कार्यो, शक्तियों एवं कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख हैं।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
The Powers And Duties Of Its Officers And Employees;</td><td>छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय 5 (धारा 23-31) में पुलिस अधिकारियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व उल्लेखित हैं।

धारा 23 के अनुसार पुलिस की भूमिका कार्य तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे-

(क) विधि को प्रवृत्त करना तथा लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, अधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा करना।
(ख) अपराध तथा लोक उपदूषण रोकना।
(ग) लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना।
(घ) आंतरिक सुरक्षा को परिरक्षित करना, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करना तथा नियंत्रित करना तथा लोक शांति भंग को रोकना।
(ड) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना।
(च) अपराधों का पता लगाना तथा न्याय के लिए अपराधियों को लाना।
(छ) ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वह विधिक रूप से प्राधिकृत हो तथा जिसके गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त अधार विद्यमान हों।
(ज) प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना तथा राहत कार्यों में अन्य अभिकरणों को सहायता देना।
(झ) जनता तथा वाहनों के व्यवस्थित संचालन को सरल बनाना तथा यातायात को नियंत्रित तथा विनियमित करना।</td></tr>
</table>

कोरबा पुलिस

		(ञ) लोक शांति को प्रभावित करने वाले विषयों तथा अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना। (ट) लोक प्राधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करना। (ठ) विधि द्वारा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधि के अधीन प्रदत्त निर्देशों पर सभी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना। (2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, पुलिस अधिकारी के ऐसे अन्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंप सकेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
3	**विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;** The Procedure Followed In The Decision Making Process, Including Channels Of Supervision And Accountability;	**1.अपराध की इत्तिला** :- अपराध के संबंध में मौलिक विधि-भारतीय दण्ड संहिता, 1860, प्रक्रिया विधि-दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 तथा साक्ष्य विधि-भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 है। इसके अतिरिक्त विशेष एवं स्थानीय अपराध अधिनियमों, माननीय न्यायालय के निर्णय, शासनादेशों, विभागीय परिपत्रों, आदि में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पुलिस के नियमन हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 तथा छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के प्रावधान लागू हैं, जिसके अंतर्गत प्रकरणों का पर्यवेक्षण किया जाकर हर स्तर पर कार्य के अनुसार उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। **2.शिकायत प्राप्त होने पर** :- कार्यालय में शिकायतें 03 माध्यमों से प्राप्त होती हैं वरिष्ठ/दीगर कार्यालयों से प्राप्त, लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से शिकायत किये जाने पर। उपरोक्त सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/सामान्य पुस्तक परिपत्र में वर्णित प्रावधानों के तहत किया जाता है। **3.सामान्य आवेदन** :- कार्यालय में अन्य आवेदन जैसे सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, अनुमति (बैंक ऋण, परीक्षा आदि), अवकाश आदि प्रस्तुत किये जाते है जिनका निराकरण नियमानुसार/कार्यालयीन प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा पत्र इंन्द्राज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जनसूचना अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुत किया जाता है, जिसपर अधिनियम के विहित प्रावधानों के अनुसार विचार करके निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाता है। प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को की जा सकती है, जिसका निराकरण भी अधिनियम में विहित प्रक्रियानुसार किया जाता है। इसी प्रकार बिन्दु क्रमांक-16 में उल्लेखित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जाता है। जिला स्तर पर पुलिस विभाग के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा द्वारा किया जाता है।

कोरबा पुलिस

4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड;

The Norms Set By It For The Discharge Of Its Functions;

कार्यालय में कार्य उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में विहित प्रावधानों द्वारा स्थापित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-109/दो-गृह/रापुसे/2011, दिनांक 28.12.2011-छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दिये गये अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है।

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिक
1	पुलिस थाना	थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
2	पुलिस थाना	सडक दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
3	पुलिस थाना	अज्ञात वाहन दुर्घटना प्रकरणों में जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
4	पुलिस थाना	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5	पुलिस थाना	प्राकृतिक आपदाओं (जिसमें पुलिस ने जॉच या विवेचना की है) में पीडित परिवारों को राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
6	पुलिस थाना	सडक दुर्घटना में घायलों को तत्कालिक राहत हेतु कार्यवाही।	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
7	पुलिस थाना	किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओं के तहत् आवेदन पर कार्यवाही	15 कार्य दिवस	थाना प्रभारी	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	पुलिस अधीक्षक
8	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	प्रस्तुत शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही।	30 कार्य दिवस	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक रेंज

कोरबा पुलिस

5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख; The Rules, Regulations, Instructions, Manuals And Records, Held By It Or Under Its Control Or Used By Its Employees For Discharging Its Functions;	छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। www.cgpolice.gov.in
6	**ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण;** A Statement Of The Categories Of Documents That Are Held By It Or Under Its Control;	कार्यालय में निम्नलिखित शाखाएं संचालित हैं जिनमें प्रकरणों से संबंधित अभिलेख विधिवत संधारित किये गये हैं। **1.स्टेनो-1 शाखा** **2.रीडर-1 शाखा** **4.मुख्य लिपिक शाखा** **5.शिकायत शाखा** **6.ओएम शाखा** **7.कंटीजेन्सी शाखा** **8.स्थापना शाखा** **9.एसआरसी शाखा** **10.वेतन शाखा** **11.विधि शाखा** **12.आवक-जावक शाखा** **13.एसी-1 शाखा** **14.फण्ड शाखा** **15.रिकार्ड कीपर शाखा** **16.डीसीआरबी शाखा** **17.डीसीबी शाखा** **18.टीए शाखा** **19.अवकाश शाखा** **20.सूचना का अधिकार शाखा** **21. लोक सेवा गारंटी शाखा** **22. रीडर-2 शाखा** **23. ऑडिट शाखा** **24. पुलिस वेलफेयर साख समिति शाखा**

कोरबा पुलिस

7	**किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;** The Particulars Of Any Arrangement That Exists For Consultation With, Or Representation By, The Members Of The Public In Relation To The Formulation Of Its Policy Or Implementation Thereof;	छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 37 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, विहित रीति, प्रत्येक पुलिस थाने के लिए पुलिस बल को उनके कार्यो के निर्वहन में सहायता देने की दृष्टि से, समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह गठित करेगा। उक्त के परिपालन में जिला पुलिस कोरबा द्वारा **"संगवारी पुलिस"** नामक सामुदायिक कार्यक्रम वर्तमान में संचालित है, जिसके माध्यम से आम जनता को अपराधों एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाता है तथा अपराधों की रोकथाम में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है। समय-समय पर जनता से प्राप्त सुझावों एवं सूचनाओं पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाती है।
8	**ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, निर्देशिका;** A Statement Of The Boards,Councils,Committees And Other Bodies Consisting Of Two Or More Persons Comstituted As Its Part Or For The Purpose Of Its Advice, And As To Whether Meetings Of Those Boards, Councils, Committees And Other Bodies, Are Open To The Public, Or The Minutes Of Such Meetings Are Accessible For Public;	जिला स्तर पर एकाधिक समितियों का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम, 1989 में विहित नियम, 17 के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम, 1999 के अनुसार उक्त समितियों का गठन किया गया है। त्यौहारों एवं अन्य विशेष अवसरों पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहाद्र बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किशनभाई विरूद्ध गुजरात राज्य के निर्णय अनुसार गठित दोषमुक्ति समीक्षा समिति गठित की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 47 के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के शिकायतों के प्रतितोषण तथा कल्याण हेतु जिला स्तरीय (विभागीय) समिति का भी गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा समिति, मानव तस्करी निरोधक टीम, महिला (अपराध) सेल तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में विहित विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन भी जिला स्तर पर किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तरीय अन्य समितियों के पदेन सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक कोरबा होते हैं।

9

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

A Directory Of Its Officers And Employees;

क्रं.	कायोलय/थाना का नाम	कायोलय	सीयूजी नम्बर
1	पु0अ0 कोरबा	07759—224500	94791—93300
2	अति.पु.अ.कोरबा	07759—226111	94791—93301
3	न.पु.अ. कोरबा	07759—221183	94791—93302
4	न.पु.अ. दर्री	07759—232353	94791—93303
5	एसडीओपी कटघोरा	07816—250652	94791—93304
6	उ.पु.अ. (अजाक)	07759—228950	94791—93306
7	उपुअ(मुख्या)	—	9479—191519
8	रक्षित निरीक्षक कोरबा	07759—222600	94791—93307
9	थाना कोतवाली	07759—221800	94791—93308
10	थाना बाल्को	07759—242022	94791—93309
11	थाना यातायात	07759—221022	94791—93310
12	थाना कुसमुंडा	07815—271227	94791—93311
13	थाना बांकीमोंगरा	07815—276277	94791—93312
14	थाना दर्री	07759—231699	94791—93313
15	थाना कटघोरा	07815—250331	94791—93314
16	थाना पाली	07816—232043	94791—93315
17	थाना बांगो	07810—287222	94791—93316
18	थाना पसान	07811—241244	94791—93317
19	थाना दीपका	07815—275776	94791—93318
20	थाना करतला	07759—279777	94791—93319
21	थाना उरगा	07759—279561	94791—94640
22	थाना लेमरू	—	94791—94641
23	थाना श्यांग	—	94791—94642
24	थाना अजाक	07759—228950	—
25	चौकी हरदीबाजार	07815—275276	94791—93320
26	चौकी रजगामार	07759—289277	94791—93321
27	चौकी कोरबी	07811—298749	94791—93322
28	चौकी मोरगा	07815—298750	94791—93323

कोरबा पुलिस

क्र.	विषय	पदनाम	ग्रेड वेतन	लेवल	वेतन
10	**अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;** TheMonthly Remuneration Received By each Of Its Officers And Employees, Including The System Of Comprnsation As P)rovided In Its Regulations;	**जिला पुलिस बल**			
		आरक्षक	1900	4	19500-62000
		प्रथम समयमान	2400	6	25300-80500
		द्वितीय समयमान	2800	7	28700-91300
		प्रधान आरक्षक(पदोन्नत पद)	2200	5	22400-71200
		प्रथम समयमान	2400	6	25300-80500
		द्वितीय समयमान	2800	7	28700-91300
		सहायक उप निरीक्षक(पदोन्नत पद)	2400	6	25300-80500
		द्वितीय समयमान	2800	7	28700-91300
		उप निरीक्षक	4200	8	35400-112400
		प्रथम समयमान	4400	10	43200-136500
		द्वितीय समयमान	5400	12	56100-177500
		निरीक्षक(पदोन्नत पद)	4300	9	38100-120400
		प्रथम समयमान	4400	10	43200-136500
		द्वितीय समयमान	5400	12	56100-177500
		उप पुलिस अधीक्षक	5400	12	56100-177500
		अति. पुलिस अधीक्षक(पदोन्नत पद)	7600	14	79900-211700
		पुलिस अधीक्षक	7600	14	79900-211700
		कार्यपालिक बल (एम)			
		स.उ.नि. (एम)	2400	6	25300-80500
		प्रथम समयमान	4200	8	35400-112400
		द्वितीय समयमान	4400	10	43200-136500
		उ.नि. (एम) (पदोन्नत पद)	4200	8	35400-112400
		द्वितीय समयमान	4400	10	43200-136500
		सूबेदार (एम)	4200	8	35400-112400
		निरीक्षक (एम)	4300	9	38100-120400
		उ.पु.अ. (एम)	5400	12	56100-177500
11	**सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;** The Budget Allocated To Each Of Its Agency, Indicating The Particulars Of all Plans, Proposed Expenditures And Reports On Disbursements Made.	संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ शासन, की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। www.cgstate.gov.in www.ekoshonline.cg.nic.in			
12	**सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;** The Manner Of Execution Of Subsidy Programmes,	निरंक			

कोरबा पुलिस

	Including The Amounts Allocated And The Details Of Beneficiaries Of Such Programmes;	
13	**अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;** Particulars Of Recipients Of Concessions, Permits Or Authorisations granted By It;	निरंक
14	**किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;** Details In Respect Of The Information, Available To Or Held By It, Reduced In An Electonic Form;	निरंक
15	**सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;** The Particulars Of Facilities Available To Citizens For Obtaining Information, Including The Working Hours Of A Library Or Reading Room, If Maintained For Public Use;	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कोरबा में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- 1. अशिक्षित आवेदकों को आवेदन लिखने में सहायता। 2. आवेदकों को वांछित जानकारी तैयार होने की सूचना फोन के माध्यम से देना। 3. कार्यालय में आवेदकों के लिये वेटिंग लाउन्ज (आगन्तुक कक्ष) उपलब्ध हैं। 4. आवेदकों की आग्रह/आवश्यकता के अनुसार यथोचित सहायता दी जाती है।
16	**लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;** The Names, Designations And Other Particulars Of The Public In formation Officers;	

स0क्र0	कार्यालय/थाना का नाम	कार्यालय/थाना के प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय/थाना के जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम
01	पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा (छ0ग0)	श्री कीर्तन राठौर अति0पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा	श्री रितेश श्रीवास्तव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कोरबा 94791–91519
02	नगर पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा (छ0ग0)		श्री सुरेन्द्र सायं पैंकरा नगर पुलिस अधीक्षक, कोरबा 94791–93302
03	नगर पुलिस अधीक्षक दर्री, जिला कोरबा (छ0ग0)		श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल नगर पुलिस अधीक्षक, दर्री 94791–93303
04	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा, जिला कोरबा (छ0ग0)		श्री संदीप मित्तल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कटघोरा 94791–93304
05	उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला कोरबा (छ0ग0)		श्री डी0एस0 दीवान उप पुलिस अधीक्षक अजाक कोरबा 94791–93306

कोरबा पुलिस

		06	थाना कोतवाली	श्री सुरेन्द्र साय पैंकरा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा	श्री आर.पी. शर्मा निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93308
		07	थाना उरगा		श्री राजेश चंद्रवंशी उप निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—94640
		08	थाना करतला		श्री इन्द्रभूषण सिंह निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93319
		09	थाना श्यांग		श्री केसर पराग उप निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—94642
		10	थाना लेमरू		श्री सुनील कुर्रे निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—94641
		11	थाना बालकोनगर		श्री प्रमोद कुमार सिंह निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93309
		12	थाना कुसमुण्डा	श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल नगर पुलिस अधीक्षक दर्री	श्री एम्ब्रोश कुजूर निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93311
		13	थाना दीपका		श्री शरद चंद्रा निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93318
		14	थाना बांकीमोंगरा		श्री अशोक पाण्डेय उप निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93312
		15	थाना दर्री		श्रीमती साधना सिंह उप पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93313
		16	थाना कटघोरा	श्री संदीप मित्तल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा	श्री के0के0 दुबे उप निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93314
		17	थाना पाली		श्री मानसिंह राठिया निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93315
		18	थाना बांगो		श्री के0एन0 तिवारी निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93316
		19	थाना पसान		श्री करमू सायं पैंकरा उप निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93317
		20	थाना अजाक	श्री डी0एस0 दीवान उप पुलिस अधीक्षक अजाक कोरबा	श्री रमेश कुमार पाण्डेय निरीक्षक/थाना प्रभारी
		21	थाना यातायात	श्री कीर्तन राठौर अति0पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा	श्री श्याम सुन्दर पटेल निरीक्षक/थाना प्रभारी 94791—93310
17	**ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।** Such other information as may be prescribed;	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित संस्था/शाखा/संगठन को छूट प्रदान की गई है: – (एफ 7-16/2005/1/6, दिनांक 22.10.2005, 19.04.2006 एवं 07.11.2006)** 01. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। 02.पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय। 03. पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा । 04. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा। 05. अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) छत्तीसगढ़। 06. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ।			

कोरबा पुलिस

जिला पुलिस संगठन कोरबा